



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062026-273626
CG-DL-E-19062026-273626

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड(ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3040]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948

No. 3040]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

का.आ. 3162(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में Ring Road के कि.मी. 20.87 से कि.मी.40.4 (हातोद) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (हातोद) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में Ring Road के कि.मी. 20.87 से कि.मी.40.4 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: इंदौर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हतोड़					
गांव का नाम: अरनिया					
1	329	निजी	सिंचित	0.1218 (हेक्टेयर)	0.1218
गांव का नाम: पालडी					
2	410/1/1	निजी	सिंचित	0.0081 (हेक्टेयर)	0.0081
3	410/4	निजी	सिंचित	0.552 (हेक्टेयर)	0.552
4	410/5	निजी	सिंचित	0.644 (हेक्टेयर)	0.644
5	410/6	निजी	सिंचित	0.517 (हेक्टेयर)	0.517
6	413/5/1, 413/4	निजी	सिंचित	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
7	413/5/2	निजी	सिंचित	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
8	491/1/5	निजी	सिंचित	0.034 (हेक्टेयर)	0.034
गांव का नाम: बड़ोदिया पंथ					
9	5/2/3	निजी	सिंचित	0.0522 (हेक्टेयर)	0.0522
10	5/4	निजी	सिंचित	0.2136 (हेक्टेयर)	0.2136
11	5/5	निजी	सिंचित	0.0781 (हेक्टेयर)	0.0781

गांव का नाम: नाहरखेड़ा					
12	190/1/1	निजी	सिंचित	0.037 (हेक्टेयर)	0.037
13	190/2/2	निजी	सिंचित	0.1569 (हेक्टेयर)	0.1569
14	190/2/3	निजी	सिंचित	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
15	190/3	निजी	सिंचित	0.0318 (हेक्टेयर)	0.0318
16	194/1	निजी	सिंचित	0.347 (हेक्टेयर)	0.347
17	210/2	निजी	सिंचित	0.057 (हेक्टेयर)	0.057
18	228/2/1	निजी	सिंचित	0.0887 (हेक्टेयर)	0.0887
19	228/2/2	निजी	सिंचित	0.0798 (हेक्टेयर)	0.0798
गांव का नाम: जिंदाखेड़ा					
20	191/3/1, 191/2	निजी	सिंचित	0.2161 (हेक्टेयर)	0.2161
21	191/3/2, 191/3/3	निजी	सिंचित	0.4778 (हेक्टेयर)	0.4778
22	201/2/1	निजी	सिंचित	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
23	201/2/2	निजी	सिंचित	0.0816 (हेक्टेयर)	0.0816
24	201/3/2	निजी	सिंचित	0.6617 (हेक्टेयर)	0.6617
25	203/1	निजी	सिंचित	0.0733 (हेक्टेयर)	0.0733
26	203/2/1/1/1	निजी	सिंचित	0.0057 (हेक्टेयर)	0.0057
27	203/3	निजी	सिंचित	0.1391 (हेक्टेयर)	0.1391
28	216/4	निजी	सिंचित	0.2929 (हेक्टेयर)	0.2929
29	216/5/1	निजी	सिंचित	0.2056 (हेक्टेयर)	0.2056
30	218/2/2	निजी	सिंचित	0.6628 (हेक्टेयर)	0.6628
31	442/2	निजी	सिंचित	0.196 (हेक्टेयर)	0.196
32	466/1/1/1	निजी	सिंचित	0.0674 (हेक्टेयर)	0.0674
33	466/1/2	निजी	सिंचित	0.0333 (हेक्टेयर)	0.0333
34	466/1/3	निजी	सिंचित	0.0128 (हेक्टेयर)	0.0128
35	466/3/2/2	निजी	सिंचित	0.0176 (हेक्टेयर)	0.0176
36	467/4	निजी	सिंचित	0.0951 (हेक्टेयर)	0.0951
गांव का नाम: अजोटी					
37	216/1, 216/5, 216/9	निजी	सिंचित	0.072 (हेक्टेयर)	0.072
38	216/4	निजी	सिंचित	0.083 (हेक्टेयर)	0.083
39	219/2/3	निजी	सिंचित	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
40	226/1/3/2	निजी	सिंचित	0.07 (हेक्टेयर)	0.07

41	283/8, 283/9	निजी	सिंचित	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
गांव का नाम: मांगलिया अरनिया					
42	78/1	निजी	सिंचित	0.0029 (हेक्टेयर)	0.0029
Total					6.5962

[फा.सं. NHAI/RO-BPL/PIU-IND/DPR/IRR/207726/3A2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th June, 2026

S.O. 3162(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Ring Road in the stretch of land from Km. 20.87 to Km. 40.4 (Hatod) in the district of INDORE in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, sub divisional officer revenue Hatod in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Ring Road in the stretch of land from Km. 20.87 to Km. 40.4 (Hatod) in the district of INDORE in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: INDORE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Hatod					
Village: Arniya					
1	329	Private	Irrigated	0.1218 (Hectare)	0.1218
Village: Paladi					
2	410/1/1	Private	Irrigated	0.0081 (Hectare)	0.0081
3	410/4	Private	Irrigated	0.552 (Hectare)	0.552
4	410/5	Private	Irrigated	0.644 (Hectare)	0.644
5	410/6	Private	Irrigated	0.517 (Hectare)	0.517
6	413/5/1, 413/4	Private	Irrigated	0.003 (Hectare)	0.003
7	413/5/2	Private	Irrigated	0.014 (Hectare)	0.014
8	491/1/5	Private	Irrigated	0.034 (Hectare)	0.034
Village: Badodiya Panth					
9	5/2/3	Private	Irrigated	0.0522 (Hectare)	0.0522
10	5/4	Private	Irrigated	0.2136 (Hectare)	0.2136
11	5/5	Private	Irrigated	0.0781 (Hectare)	0.0781
Village: Naharkheda					
12	190/1/1	Private	Irrigated	0.037 (Hectare)	0.037
13	190/2/2	Private	Irrigated	0.1569 (Hectare)	0.1569
14	190/2/3	Private	Irrigated	0.0075 (Hectare)	0.0075
15	190/3	Private	Irrigated	0.0318 (Hectare)	0.0318
16	194/1	Private	Irrigated	0.347 (Hectare)	0.347
17	210/2	Private	Irrigated	0.057 (Hectare)	0.057
18	228/2/1	Private	Irrigated	0.0887 (Hectare)	0.0887
19	228/2/2	Private	Irrigated	0.0798 (Hectare)	0.0798
Village: Jindakheda					
20	191/3/1, 191/2	Private	Irrigated	0.2161 (Hectare)	0.2161
21	191/3/2, 191/3/3	Private	Irrigated	0.4778 (Hectare)	0.4778
22	201/2/1	Private	Irrigated	0.06 (Hectare)	0.06
23	201/2/2	Private	Irrigated	0.0816 (Hectare)	0.0816
24	201/3/2	Private	Irrigated	0.6617 (Hectare)	0.6617
25	203/1	Private	Irrigated	0.0733 (Hectare)	0.0733
26	203/2/1/1/1	Private	Irrigated	0.0057 (Hectare)	0.0057
27	203/3	Private	Irrigated	0.1391 (Hectare)	0.1391
28	216/4	Private	Irrigated	0.2929 (Hectare)	0.2929
29	216/5/1	Private	Irrigated	0.2056 (Hectare)	0.2056
30	218/2/2	Private	Irrigated	0.6628 (Hectare)	0.6628
31	442/2	Private	Irrigated	0.196 (Hectare)	0.196
32	466/1/1/1	Private	Irrigated	0.0674 (Hectare)	0.0674
33	466/1/2	Private	Irrigated	0.0333 (Hectare)	0.0333
34	466/1/3	Private	Irrigated	0.0128 (Hectare)	0.0128
35	466/3/2/2	Private	Irrigated	0.0176 (Hectare)	0.0176
36	467/4	Private	Irrigated	0.0951 (Hectare)	0.0951

Village: Ajnoti					
37	216/1, 216/5, 216/9	Private	Irrigated	0.072 (Hectare)	0.072
38	216/4	Private	Irrigated	0.083 (Hectare)	0.083
39	219/2/3	Private	Irrigated	0.011 (Hectare)	0.011
40	226/1/3/2	Private	Irrigated	0.07 (Hectare)	0.07
41	283/8, 283/9	Private	Irrigated	0.015 (Hectare)	0.015
Village: Mangaliya Arniya					
42	78/1	Private	Irrigated	0.0029 (Hectare)	0.0029
Total					6.5962

[F. No. NHAI/RO-BPL/PIU-IND/DPR/IRR/207726/3A2]

SHAIKH AMINKHAN, Director